रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 1984/श्रावण 17, 1906
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 1984/SRAVANA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1984

सं. 191/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 589(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय, नई

दिल्ली, के निदेशक, कर अपवंचन निरोध (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की शक्तियां विनिहित करती है जिनका प्रयोग भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में उसके द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. 215/3/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-6]

वी. के. पुरी, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

## CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1984

NO. 191|84-CENTRAL EXCISES

GSR 589(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Board of Excise and Customs hereby invests Director, Anti-Evasion (Customs and Central Excise) in the Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi, with the powers of a Collector of Central Excise, to be exercised by him throughout the territory of India.

[F. No. 215|3|84-CX. 6]

V. K. PURI, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984